न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय गोयल आर.ए.एस.
राजस्व दावा सं0:– 232 / 15

विपतीराम पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम झब्बलपुर तहसील व जिला भरतपुर।

........वादी

बनाम

फूलसिंह पुत्र खुनखुन जाति जाट निवासी ग्राम झब्बलपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.........प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक व डिक्री हुकम इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 25.02.2020

वादी द्वारा यह प्रकरण दिनांक 01.12.2015 को अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर निवेदन किया कि हाल आ.ख.नं. 207 / 0.26 बाके ग्राम महटोली तहसील व जिला भरतपुर है जिस पर इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादी के नाम खिलाफ मौका रिकार्ड एवं कानून के गलत रूप से दर्ज है। जबकि ख.नं. 207 / 0.26 वादी की कब्जे काश्त एंव खातेदारी की आराजी है तथा वादी का ही मौके पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त है। हाल खसरा नम्बर 207 / 0.26 बाके ग्राम महटोली बंदोबस्त विभाग द्वारा मौका साविक रिकार्ड व नक्शा के साविक खसरा नम्बर 162 के रकबा

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

1 बीघा 13 से गलत रूप से कसीद किया गया है। चूंकि साविक खसरा नम्बर 162/1.13 से हाल ख.नं. 206/0.20 व 207/0.26 गलत रूप से कसीद किये गये हैं। जबकि मुताबिक मौका एवं साविक नक्शा हाल खसरा नम्बर 207/0.26 साविक खसरा नम्बर 163/3.06 का भाग है तथा 163/3.06 से ही खसरा नम्बर 206/0.20, 207/0.26 बंदोबस्त विभाग द्वारा कसीद करने चाहिये थे। जबकि साविक ख.नं. 163/3.06 से हाल खसरा नम्बर 209/0.26 गलत रूप से बनाया गया है। जबकि साविक रकबा 3 बीघा 6 विस्वा की तुलना में हाल रकबा 53 ऐयर होना चाहिये। इस तौर पर भी हाल खसरा नम्बर 206/0.20 व 207/0.26 साविक ख.नं. 163/3.06 से बनना स्पष्ट प्रमाणित होता है। जबकि साविक ख.नं. 162/1.13 से हाल खसरा नम्बर 206/0.20 व 207/0.26 बंदोबस्त विभाग द्वारा बनना दर्शित किया है। जबकि साविक ख.नं. 162/1.13 के हाल ख.नं. 209/0.26 बनाना चाहिये था। साविक ख.नं. 163 बंदोबस्त से पूर्व मुस. सीता वेवा रामसिंह व गडडर पुत्र नौहरी की वहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज है। मुस. सीता वेवा रामसिंह की समस्त चल अचल सम्पत्ति आराजी जायदाद की वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वसीयत तारीखी 21.09.2000 उप पंजीयक भरतपुर से प्राप्त किया है तथा मुस. सीता की समस्त खातेदारी की आराजी पर इन्द्राज वादी के नाम दर्ज हो चुके हैं परन्तु हाल खसरा नम्बर 207/0.

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

26 पर बंदोबस्त विभाग द्वारा खिलाफ मौका रिकार्ड एवं कानून के गलत रूप से इन्द्राज प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिये हैं। जबकि प्रतिवादी का कभी भी कोई कब्जा काश्त एवं सम्बन्ध व सरोकार खसरा नम्बर 207/0.26 से नहीं रहा है। बल्कि वादी का ही शांतिपूर्ण कब्जा काश्त है। वदी वजह हाल खसरा नम्बर 207/0.26 बाके ग्राम महटोली पर प्रतिवादी के नाम खिलाफ मौका रिपोर्ट एवं कानून के गलत रूप से दर्ज इन्द्राज को कलमजन कराकर वादी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। हाल खसरा नम्बर 207/0.26 बाके ग्राम महटोली पर वर्तमान रिकार्ड में इन्द्राज प्रतिवादी के नाम खिलाफ मौका रिकार्ड एंव कानून के गलत इन्द्राज होने के कारण प्रतिवादी आये दिन वादी को जबरदस्ती बेदखल करने की व रहन बय मुन्तकिल करने की धमकी देता है। यदि प्रतिवादी अपनी धमकी में कामयाब हो गया तो वादी को असीम क्षति होगी। वदी वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी की इस आशय की जारी करा पाने का अधिकारी है कि वादी को जबरदस्ती बेदखल न करें। कब्जे काश्त वादी में मदाखलत मजाहमत न करें एंव ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे वादी पर विपरीत असर पडे।

अतः प्रार्थना है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 207/0.26 बाके ग्राम महटोली तहसील व जिला भरतपुर का वादी काबिज

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज इन्द्राज खिलाफ मौका रिकार्ड एवं कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी की इस आशय की जारी की जावे कि कब्जे काश्त वादी में मदाखलत मजाहमत न करें वादी को जबरदस्ती बेदखल न करें। एंव ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे हकूक वादी पर विपरीत असर पडे।

दावा दर्ज रजि0 कर तलवी जरिये रजि. ए.डी. सम्मनों से प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये। दिनांक 07.11.2017 को उभयपक्षों ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्षों ने राजीनामा पेश कर दावा के कथनों को दोहराया तथा निवेदन किया कि आ.ख.नं. 207/0.26 बाके ग्राम महटोली पर वादी विपतीराम का कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी का नाम कलमजन कर वादी विपतीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में मुझ प्रतिवादी फूलसिंह को कोई ऐतराज नहीं है।

वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सं. 2020–23, नकल जमाबन्दी संख्या 2069–72 पेश की। मौखिक साक्ष्य में शपथपत्र पर बयान श्री विपतीराम पीडब्ल्यू–1,

उपखण्ड अधिकारी

लाखन सिंह पीडब्ल्यू–2, महेन्द्र सिंह पीडब्ल्यू–3 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की।

जबाव दावा पेश नहीं होने एवं राजीनामा पेश होने के कारण तन्कीह कायम नहीं की गई। उभयपक्षकारान के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल के गत आ.ख.नं. 162 मि. रकबा 1.13 बीघा से हाल ख.नं. 206/0.20, 207/0.26 है. बनाये गये हैं। प्रस्तुत जमाबन्दी संख्या 2020–23 के मुताबिक गत आ.ख.नं. 162 मि. रकबा 1.13 बीघा कभी वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके के गत आ.ख.नं. 162 मि. रकबा 1.13 बीघा वादी अथवा वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। यह प्रकरण ऐक्सचैंज का प्रतीत होता है। जिसमें स्टाम्प कर अपवंचना होने की संभावना है। दावा वादी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता है। दावा वादी खारिज योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर